

# विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश  
(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 2441/वि0स0/संसदीय/02(सं)/2022

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,  
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 16 दिसम्बर, 2025

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 2419/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2022, दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 से 24 दिसम्बर, 2025 तक के उपवेशनों का प्रस्तावित कार्यक्रम, जैसा कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ है, संलग्नक-एक के रूप में आपकी सूचनार्थ संलग्न है।

माननीया राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधान सभा में संविधान के अनुच्छेद-205 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-194 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन में प्रस्तुत किये जाने के लिए दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 की तिथि नियत की है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों की मांगें दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को 12:20 बजे अपराह्न सदन में प्रस्तुत की जायेंगी।

उक्त प्रसंग में मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि संलग्नक-दो में उल्लिखित अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा कतिपय अन्य नये विधेयकों को ऐसे क्रम में विचारार्थ लिए जाने की सम्भावना है, जिसकी सूचना आपको यथासमय पृथक से दी जायेगी।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,  
**प्रदीप कुमार दुबे,**  
प्रमुख सचिव।

संख्या : 2441(1)/वि0स0/संसदीय/02(सं)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

- 2-अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 3-मा0 मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 4-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा0 अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 5-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
- 6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 7-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 8-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 9-समस्त माननीय मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
- 10-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 11-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 12-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा,
- 13-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,
- 14-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 15-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 16-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 17-प्रमुख सचिव/सचिव, अन्य राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,
- 18-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 19-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 20-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 21-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 22-पुलिस आयुक्त, लखनऊ,
- 23-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 24-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 25-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 26-निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 27-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
- 28-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,
- 29-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
- 30-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

**अर्चना श्याम,**  
उप सचिव।

(संलग्नक-एक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 से दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 तक का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम, जैसा कि मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ

**दिसम्बर, 2025**

- |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 शुक्रवार | निधन के निदेश।                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 शनिवार   | बैठक नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21 रविवार   | बैठक नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 सोमवार   | 1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।<br>2- <b><u>12:20 बजे अपराह्न</u></b><br>वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।<br>3-विधायी कार्य। |
| 23 मंगलवार  | 1-विधायी कार्य।<br>2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 बुधवार   | 1-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।<br>2-विधायी कार्य।                                                                |

-----



विगत सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश

- 1-उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025  
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2025)
- 2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2025  
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2025)
- 3-उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025  
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2025)
- 4-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2025  
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2025)
- 5-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2025  
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2025)
- 6-उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025  
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2025)
- 7-उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025  
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2025)
- 8-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025  
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2025)

-----